Central Goods & Services Tax Act. 2017

Section 169: Service of notice in certain circumstances

- (1) Any decision, order, summons, notice or other communication under this Act or the rules made thereunder shall be served by any one of the following methods, namely:—
 - (a) by giving or tendering it directly or by a messenger including a courier to the addressee or the taxable person or to his manager or authorised representative or an advocate or a tax practitioner holding authority to appear in the proceedings on behalf of the taxable person or to a person regularly employed by him in connection with the business, or to any adult member of family residing with the taxable person; or
 - **(b)** by registered post or speed post or courier with acknowledgement due, to the person for whom it is intended or his authorised representative, if any, at his last known place of business or residence; or
 - **(c)** by sending a communication to his e-mail address provided at the time of registration or as amended from time to time; or
 - (d) by making it available on the common portal; or
 - **(e)** by publication in a newspaper circulating in the locality in which the taxable person or the person to whom it is issued is last known to have resided, carried on business or personally worked for gain; or
 - **(f)** if none of the modes aforesaid is practicable, by affixing it in some conspicuous place at his last known place of business or residence and if such mode is not practicable for any reason, then by affixing a copy thereof on the notice board of the office of the concerned officer or authority who or which passed such decision or order or issued such summons or notice.
- (2) Every decision, order, summons, notice or any communication shall be deemed to have been served on the date on which it is tendered or published or a copy thereof is affixed in the manner provided in sub-section (1).
- (3) When such decision, order, summons, notice or any communication is sent by registered post or speed post, it shall be deemed to have been received by the addressee at the expiry of the period normally taken by such post in transit unless the contrary is proved.

धारा 169 : कतिपय परिस्थितियों में नोटिस तामील करना

- (1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या अन्य संसूचना की निम्नलिखित किन्हीं पद्धतियों द्वारा तामील की जाएगी, अर्थात् :—
 - (क) प्रेषिती या कराधेय व्यक्ति को या उसके प्रबंधक या प्राधिकृत प्रतिनिधि या अधिवक्ता या कर व्यवसायी, जिसके पास कराधेय व्यक्ति की ओर से कार्यवाहियों में पेश होने का प्राधिकार है या कारबार के संबंध में उसके द्वारा नियमित रूप से नियोजित व्यक्ति को या कराधेय व्यक्ति के साथ रह रहे किसी वयस्क व्यक्ति को सीधे देकर या सुपूर्व करके या संदेशवाहक जिसके अंतर्गत क्रियर भी है, के द्वारा;
 - (ख) व्यक्ति, जिसके लिए वह आशयित है या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई है, उसके कारबार या निवास का अंतिम स्थान जो जानकारी में है, को अभिस्वीकृति सिहत रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कुरियर द्वारा;
 - (ग) रजिस्ट्रीकरण के समय या समय—समय पर संशोधित उसके ई—मेल पते पर संसूचना भेजने के द्वारा;
 - (घ) सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध करवाने के द्वारा;
 - (ड.) ऐसे अवस्थान जहां, कराधेय व्यक्ति या व्यक्ति जिसे यह जारी किया गया था, अंतिम ज्ञात रूप में निवास करता था, कारबार करता था या वैयक्तिक तौर पर अभिलाभ के लिए कार्य करता था, समाचार पत्र में प्रकाशन करके प्रचालन द्वारा;
 - (च) यदि उपर्युक्त कोई ढंग साध्य नहीं है, तो उसके निवास या कारबार के अंतिम ज्ञात स्थान पर किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकाने के द्वारा और यदि किसी कारणवश ऐसी पद्धित भी साध्य नहीं होती है तो संबद्ध कार्यालय या प्राधिकरण जिसने या जिसके द्वारा ऐसा विनिश्चय या आदेश या समन या नोटिस जारी किया गया है, के नोटिस बोर्ड पर चिपकाने के द्वारा तामील की जाएगी।
- (2) प्रत्येक विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या किसी संसूचना की उसी तारीख को तामील हुई समझी जाएगी जिस पर इसे सुपुर्द किया गया या प्रकाशित किया गया था या उपधारा (1) में उपबंधित रीति से उसकी एक प्रति वहां चिपकाई गई।
- (3) जब ऐसे विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या किसी संसूचना को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाता है, तो सामान्यतः जितनी अवधि ऐसी डाक को पहुंचने में लगती है, उसके अनुसार उसे प्रेषिती द्वारा प्राप्त किया गया समझा जाएगा जब तक कि प्रतिकल साबित नहीं कर दिया जाता।